सत्यमेव जयते

संख्या– 4412 / जी0एस0(शिक्षा) / **A15-28** / 2019

प्रेषक,

रीना जोशी
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
न्यू होप टॉउन (शीशमबाड़ा), सेलाकुई, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 24 फरवरी, 2026

महोदया,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्रांक 8122 दिनांक 13 फरवरी, 2020, पत्रांक 8506 दिनांक 11 जून, 2020, पत्रांक 2628 दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 तथा पत्रांक 2630 दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित निम्नलिखित प्रस्तावों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, हे०न०ब०उ०चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा–36(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण / नवीन अस्थाई सम्बद्धता हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	शैक्षिक सत्र एवं सीट संख्या		
		2019–20	2020–21	2021–22
उत्तरांचल (पी0जी0) कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल साईंसेज एण्ड हॉस्पिटल, सेवला खुर्द, सहारनपुर रोड़, देहरादून।	बी0एम0आर0आई0टी0	60 (30 सीट वृद्धि सहित)	45	45
	बी0एससी0–ऑप्टोमैट्री	60 (30 सीट वृद्धि सहित)	50	50
	बी0पी0टी0	—	45 नवीन अस्थाई सम्बद्धता	45
	बी0एम0एल0टी0	—	50 नवीन अस्थाई सम्बद्धता	50
	बी0एससी0–एम0एम0	—	60 नवीन अस्थाई सम्बद्धता	60
	बी0एससी0–ओटी0	—	30 नवीन अस्थाई सम्बद्धता	30

File No. RB-EDUC02/5/2024-RAJBHAWAN (Computer No. 1119)
Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 24/02/2026 01:46 pm

	एम0पी0टी0	—	35 नवीन अस्थाई सम्बद्धता	65
	एम0एससी0—एम0एल0टी0	—	15 नवीन अस्थाई सम्बद्धता	15

(1) प्राभूति राशि के मानक अपूर्ण है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान से शैक्षिक सत्र 2025–26 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा प्रति पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित प्राभूति राशि के मापदण्ड आवश्यक रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे।

(2) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(3) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीया,

Digitally signed by
REENA JOSHI
Date: 24-02-2026
12:49:38

(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या– 4412 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/**A15-28**/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 24-02-2026
13:19:19

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।